<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
प्रेमलता सरगरा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)
सू.अ.अ. अपील संख्या : 81 / 2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>23.05.2022</td><td>अपीलार्थी प्रेमलता सरगरा निवासी आलावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.02.2022 में उसके द्वारा ए.सीएम. बिलाड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 26.06.1997 के राजस्व वाद संख्या 29 / 94 की पत्रावली, आदेश, ऑर्डरशीट व सम्पूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:47:21 IST
Reason: SelfAttested